"हर काम देश के नाम"
कार्यालय, **रक्षा लेखा महानियंत्रक**
उलन बटार रोड, पालम, दिल्ली छावनी-110010
O/o the Controller General of Defence Accounts
Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt.- 110010

विकसित भारत अभियान

दूरभाष: 011-25665742 फैक्स : 011-25674806, 25674821 ई-मेल: hindicell.cgda@nic.in

सं. 55018/ हि.क./ रा.भा.का.स./ मु.का./ 31 दिनांक : 19 मार्च, 2025

(राजभाषा अनुभाग)

विषय : रक्षा लेखा विभाग मुख्यालय, कार्यालय की दिनांक 18 मार्च, 2025 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक का कार्यवृत्त।

****

इस मुख्यालय कार्यालय की दिनांक 18 मार्च, 2025 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक का कार्यवृत्त इस अनुरोध से भेजा जा रहा है कि आपके कार्यालय/ अनुभाग से संबंधित मदों पर तत्काल उचित कार्रवाई की जाए एवं की गई कार्रवाई से इस मुख्यालय कार्यालय/ राजभाषा अनुभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

रक्षा लेखा महानियंत्रक के अनुमोदन से जारी।

संलग्नक : यथोपरि

पूनम
(पूनम)
सहायक निदेशक (राजभाषा)

1. निदेशक (राजभाषा) रक्षा मंत्रालय, कमरा न. 240, 'बी विंग' सेना भवन, नई दिल्ली-110011
2. सभी रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक/ रक्षा लेखा नियंत्रक
3. मुख्यालय कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य
4. मुख्यालय कार्यालय के सभी अनुभाग
5. सूचना प्रद्योगिकी एवं प्रणाली कक्ष (स्थानीय) : वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. आदेश फाइल।

"हर काम देश के नाम"

कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक

उलन बटार रोड, पालम, दिल्ली छावनी-110010

O/o the Controller General of Defence Accounts

Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt.- 110010

दूरभाष: 011-25665742 फैक्स : 011-25674806, 25674821 ई-मेल: hindicell.cgda@nic.in

विकसित भारत अभियान

(राजभाषा अनुभाग)

विषय : कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 18 मार्च, 2025 को आयोजित तिमाही बैठक के कार्यवृत्त।

इस मुख्यालय कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की मार्च 2025 को समाप्त तिमाही की बैठक 18 मार्च, 2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे डॉ. मयंक शर्मा, भा.र.ले.से., रक्षा लेखा महानियंत्रक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

1	श्री विश्वजीत सहाय	रक्षा लेखा अपर महानियंत्रक
2	श्री अनुग्रह नारायण दास	रक्षा लेखा अपर महानियंत्रक
3	श्री रोज़ी अग्रवाल	रक्षा लेखा वरिष्ठ संयुक्त महानियंत्रक
4	डॉ. शिवाली मल्होत्रा चौहान	रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक
5	श्रीमती मौली सेनगुप्ता	रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक
6	श्री राजेश चन्द्रा	रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक
7	श्रीमती मुग्धा कौर जग्गी	रक्षा लेखा वरिष्ठ उप महानियंत्रक
8	श्रीमती गीतिका सिंह बट्टु	रक्षा लेखा उप महानियंत्रक
9	श्री विनीत पाराशर	रक्षा लेखा वरिष्ठ सहायक महानियंत्रक
10	श्रीमती स्वाति सुर्वे	रक्षा लेखा वरिष्ठ सहायक महानियंत्रक
11	श्री राजेश कालिया	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
12	श्री प्रदीप कुमार	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
13	श्री वीरेन्द्र सिंह	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
14	श्री घनश्याम शुक्ला	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
15	श्री हिमतेश प्रताप सिंह	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
16	श्री राजेश छाबड़ा	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
17	श्री सुजीत कुमार	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
18	श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
19	श्रीमती पूनम	सहायक निदेशक (राजभाषा)/ सदस्य सचिव
20	श्रीमती रुचिता सहाय	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
21	श्रीमती वॉयलेट खैलखो	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
22	श्री गौरव सिंह चौहान	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी
23	श्री अरविन्द	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी

रक्षा लेखा वरिष्ठ संयुक्त महानियंत्रक (प्रशासन) द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सदस्यों के स्वागतोपरांत अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य सचिव द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बैठक में निम्नलिखित मदों पर विचार-विमर्श किया गया:-

मद सं. 1 : दिनांक 16 दिसंबर, 2024 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक दिनांक 16 दिसंबर, 2024 को आयोजित की गई थी। बैठक का कार्यवृत्त सभी संबंधितों की जानकारी एवं यथा अपेक्षित कार्रवाई हेतु मुख्यालय कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया था। कार्यवृत्त के संबंध में किसी भी सदस्य से कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त न होने पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि मान ली गई।

मद सं. 2 : पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई

(i) मुख्यालय में तैनात 34 आशुलिपिकों में से 15 आशुलिपिकों को ही हिंदी आशुलिपि का ज्ञान प्राप्त है। अगस्त सत्र से कार्यालय के 02 आशुलिपिक प्रशिक्षणरत हैं। समिति को अवगत कराया गया कि केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रपत्र जारी होने के बाद अगले सत्र के लिए शेष आशुलिपिकों को क्रमवार नामित किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदया ने इस पर अपनी सहमति जताई।

समिति को अवगत कराया गया कि प्रशिक्षणरत 02 आशुलिपिकों ने अच्छे नंबरों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अतः वर्तमान में मुख्यालय में 17 आशुलिपिकों को हिंदी आशुलिपि का ज्ञान प्राप्त है। केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रपत्र जारी होने के बाद अगले सत्र के लिए शेष आशुलिपिकों को क्रमवार नामित किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय ने इस पर अपनी सहमति जताई तथा निदेश दिए कि हिंदी प्रशिक्षण प्राप्त आशुलिपिकों से हिंदी आशुलिपि का कार्य लिया जाए तथा इसकी मॉनीटरिंग भी की जाए।

[कार्रवाई : प्रशासन-IV एवं राजभाषा अनुभाग (स्थानीय)]

(ii) मुख्यालय कार्यालय में तैनात कुल 26 लिपिकों में से 08 को हिंदी टंकण का ज्ञान प्राप्त है। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन के पश्चात अगस्त सत्र से कार्यालय के 06 लिपिकों को राजभाषा अनुभाग (स्थानीय) में हिंदी टंकण का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है जो कि फरवरी, 2025 माह तक जारी रहेगा। प्रशिक्षण के लिए शेष 12 लिपिकों को भी अगले सत्र के लिए क्रमवार नामित किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदया ने इस पर अपनी सहमति जताई।

सदस्य सचिव ने समिति को अवगत कराया कि अगस्त 2024 सत्र में नामित मुख्यालय कार्यालय के 06 लिपिकों का हिंदी टंकण का प्रशिक्षण फरवरी, 2025 में समाप्त हो चुका है तथा वर्तमान में उनका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षित है। प्रशिक्षण के लिए शेष लिपिकों को भी अगले सत्र के लिए क्रमवार नामित किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय ने इस पर अपनी सहमति जताई तथा निदेश दिए कि सभी अनुभाग प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि जो लिपिक हिंदी टंकण में प्रशिक्षित हैं उनसे हिंदी टंकण का कार्य लिया जाए ताकि कार्यालय का हिंदी पत्राचार का प्रतिशत सही दिशा में आगे बढ़े।

[कार्रवाई : समस्त अनुभाग (स्थानीय)]

(iii) प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले सहायक निदेशक (राजभाषा) के 04 पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं जिनमें से 01 अधिकारी ने रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (नई दिल्ली) में कार्यभार ग्रहण कर लिया है तथा शेष अधिकारी भी शीघ्र ही कार्यभार ग्रहण कर लेंगे।

अध्यक्ष महोदया ने निदेश दिए थे कि सहायक निदेशक (राजभाषा) के चारों पदों को भरने के पश्चात प्रशासन-VIII द्वारा शेष 'मानित समाप्त' (deemed abolished) पदों के पुनः प्रवर्तन (revival) की प्रक्रिया शुरु की जाए।

समिति को अवगत कराया गया कि सहायक निदेशक (राजभाषा) के प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले चारों पदों पर चयनित उम्मीदवारों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

अध्यक्ष महोदय ने इस पर सहमति जताई तथा निदेश दिए कि शीघ्र ही 'मानित समाप्त' (deemed abolished) पदों के पुनः प्रवर्तन (revival) की कार्रवाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवा के रक्षा मंत्रालय को प्रेषित की जाए।

[कार्रवाई : प्रशासन-VIII एवं राजभाषा अनुभाग (स्थानीय)]

(iv) यदि एक स्टेशन पर एक से अधिक कार्यालयों का निरीक्षण प्रस्तावित है तो सभी कार्यालयों के लिए कार्यशाला का आयोजन अलग-अलग ना करके सबके लिए एक ही जगह पर कर लिया जाए।

इस सुझाव को अध्यक्ष महोदया द्वारा सहर्ष ही स्वीकार कर लिया गया।

सभी अधीनस्थ कार्यालयों को इस आशय का पत्र जारी कर दिया गया है। इसके अनुपालन में मुख्यालय कार्यालय द्वारा जनवरी, 2025 में मेरठ स्थित कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान सभी कार्यालयों के लिए एक ही जगह कार्यशाला का आयोजन किया गया। भविष्य में होने वाले सभी निरीक्षणों के दौरान भी इस बात का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर संतोष प्रकट किया गया।

[कार्रवाई : सभी अधीनस्थ कार्यालय एवं राजभाषा अनुभाग (स्थानीय)]

(v) अधीनस्थ कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण एक साथ न करके तिमाही आधार पर खंडों में किया जाए। समिति को अवगत कराया गया कि सभी प्रधान नियंत्रक/ नियंत्रक कार्यालयों को इस आशय का पत्र जारी कर दिया गया है एवं भविष्य में मुख्यालय कार्यालय द्वारा किए जाने वाले राजभाषा निरीक्षणों के दौरान भी इसकी अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।

अध्यक्ष महोदया ने इस पर सहमति जताई तथा निर्देश दिए कि मुख्यालय द्वारा इसकी मानिटरिंग की जाए।

समति को अवगत कराया गया कि सभी प्रधान नियंत्रक/ नियंत्रक कार्यालयों से पूरे वर्ष का अनुमोदित निरीक्षण कार्यक्रम मंगवाकर इसकी अनुपालना सुनिश्चित की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर संतोष प्रकट किया गया।

[कार्रवाई : सभी अधीनस्थ कार्यालय एवं राजभाषा अनुभाग (स्थानीय)]

(vi) पे-स्लिप, ट्यूलिप में कार्यालय आदेश भाग-2 एवं छुट्टी को मंजूर करने की कार्यविधि को द्विभाषी रुप में किए जाने हेतु। इस संबंध में रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक (आई.टी.) द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि आई.टी. एंड एस.डी.सी., सिकंदराबाद द्वारा यह सूचित किया गया है कि ट्यूलिप में भाग-2 आदेश मानकीकृत नहीं हैं बल्कि उपयोगकर्ता के इनपुट के अनुसार हैं जो प्रत्येक नियंत्रक कार्यालय में भिन्न हैं। ट्यूलिप भाग-2 आदेश को द्विभाषी करने के लिए इसका मानकीकरण आवश्यक है। सू.प्रौ. एवं प्र. विंग द्वारा ट्यूलिप भाग-2 आदेश के मानकीकरण हेतु प्रशासन-(IV) (स्थानीय) से अनुरोध किया गया है।

अध्यक्ष महोदया ने इस पर शीघ्र कार्रवाई करने के निदेश दिए।

समिति को अवगत कराया गया कि भाग-2 आदेश का मानक प्रारूप द्विभाषी रूप में आई.टी. एंड एस.डी.सी., सिकंदराबाद को प्रेषित कर दिया है। सू.प्रौ. एवं प्र. विंग के प्रतिनिधि ने समिति को सूचित किया कि पे-स्लिप अप्रैल, 2025 से एवं कार्यालय आदेश भाग-2 मई, 2025 से द्विभाषी रूप में जारी करना शुरू कर दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर संतोष प्रकट किया गया।

[कार्रवाई : सू.प्रौ. एवं प्र. विंग (स्थानीय)]

(vii) संसदीय राजभाषा समिति द्वारा रक्षा लेखा विभाग के कार्यालयों के निरीक्षण के संबंध में अध्यक्ष महोदया ने निर्देश दिए थे कि सभी रक्षा पेंशन संवितरण कार्यालयों के नाम निरीक्षण सूची से हटाने के लिए संसदीय राजभाषा समिति से पत्राचार किया जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिए कि सभी कार्यालयों को संसदीय राजभाषा निरीक्षण के लिए अपनी पूरी तैयारी रखनी चाहिए।

इस संबंध में समिति को अवगत कराया गया कि राजभाषा अनुभाग द्वारा संसदीय समिति एवं मुख्यालय के साथ पत्राचार किया गया है तथा रक्षा लेखा विभाग के कार्यालयों की संशोधित सूची संसदीय समिति के कार्यालय को भेज दी गई है। संसदीय समिति से इस संबंध में वार्तालाप भी किया गया है। संसदीय समिति ने इस पर स्वीकृति दे दी है। इसी क्रम में समिति को अवगत कराया गया कि संसदीय राजभाषा समिति के संभावित निरीक्षण को देखते हुए सभी अधीनस्थ कार्यालयों की पूर्ण रूप से भरी हुई निरीक्षण प्रश्नावली समीक्षा हेतु मुख्यालय कार्यालय में मंगवाई गई हैं। साथ ही सभी अधीनस्थ कार्यालयों को यह भी निदेश दिए गए हैं कि वो अपने अधीनस्थ कार्यालयों की निरीक्षण प्रश्नावली की समीक्षा करें तथा इसकी अनुपालना रिपोर्ट मुख्यालय कार्यालय को प्रेषित करें।

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पहल की सराहना की गई।

[कार्रवाई : सभी अधीनस्थ कार्यालय एवं राजभाषा अनुभाग (स्थानीय)]

(viii) अध्यक्ष महोदया ने माया ऑपरेटिंग सिस्टम में हिंदी में काम करने को लेकर आ रही समस्या के बारे में अपना अनुभव साझा किया। इस पर तत्कालीन रक्षा लेखा अपर महानियंत्रक (डॉ मयंक शर्मा) ने सू.प्रौ. एवं प्र. विंग के प्रतिनिधि को सुझाव दिया कि इस समस्या के निवारण के लिए संबंधित कार्यालय से पत्राचार किया जाए।

समिति को अवगत कराया गया कि सू.प्रौ. एवं प्र. विंग को सुझाव दिया गया था कि इस संबंध में सभी अनुभागों से माया ऑपरेटिंग सिस्टम में हिंदी में कार्य करने में आ रही समस्याओं के बारे में पूछा जा सकता है।

इस पर बैठक में अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिए कि सू.प्रौ. एवं प्र. विंग द्वारा सभी स्थानीय अनुभागों से माया ऑपरेटिंग सिस्टम में हिंदी में कार्य करने में आ रही समस्याओं के बारे में 15 दिनों के अंदर फीडबैक लिया जाए तथा उन समस्याओं के निराकरण के लिए CERA के साथ पत्राचार किया जाए।

[कार्रवाई : सू.प्रौ. एवं प्र. विंग एवं राजभाषा अनुभाग (स्थानीय)]

मद सं. 3: <u>सितम्बर, 2024 तथा दिसम्बर, 2024 की हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टों की तुलनात्मक समीक्षा</u>

सदस्य सचिव ने सितम्बर, 2024 तथा दिसम्बर, 2024 की तिमाहियों के हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित रिपोर्टों के आंकड़े समिति के समक्ष प्रस्तुत किए।

अध्यक्ष महोदय ने हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित रिपोर्टों के आंकड़ों की स्थिति पर संतोष प्रकट किया तथा साथ ही निदेश दिए कि हिंदी पत्राचार में वृद्धि का सतत प्रयास करते हुए एक बार प्राप्त लक्ष्य में कमी न आना सुनिश्चित किया जाए।

[कार्रवाई : सभी अनुभाग (स्थानीय)]

मद सं. 4 : <u>रक्षा लेखा विभाग में हिंदी पदों की स्थिति</u>

सदस्य सचिव द्वारा विभाग में हिंदी संवर्गीय पदों की निम्नलिखित वर्तमान स्थिति समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई:-

पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
सहायक निदेशक(राजभाषा)	37	13	24 मानित समाप्त
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	35	35	शून्य
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	70	50	20

(i) समिति को अवगत कराया गया कि कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों के 17 रिक्त पदों की सूचना कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गई है। 03 कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों का वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी पद पर चयन होने के कारण 03 पद रिक्त हो गए हैं। कर्मचारी चयन आयोग से अधिसूचना प्राप्त होते ही इन रिक्तियों की सूचना दे दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर संतोष जताया गया एवं निदेश दिए कि संसदीय राजभाषा संमिति के निदेशों के अनुपालन में, रक्षा लेखा विभाग में हिंदी संवर्ग की समीक्षा की जाए।

[कार्रवाई : प्रशासन-VIII (स्थानीय)]

मद सं 5 : राजभाषा संबंधी निरीक्षण

(I) मुख्यालय द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों का राजभाषा संबंधी निरीक्षण :

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम वर्ष 2024-25 के अनुसार प्रत्येक विभाग के कम से कम 25% अधीनस्थ कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण किया जाना है। इसके अनुपालन में इस वर्ष सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से इस मुख्यालय द्वारा 11 अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया जाना अपेक्षित था। इसी क्रम में प्रस्तुत है कि सभी अपेक्षित 11 अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण निम्नानुसार किया जा चुका है :-

क्र.सं.	**कार्यालय का नाम**	**निरीक्षण की तारीख**
1.	र.ले.नि.(अ. एवं वि.), बेंगलूरु	14-15 मई, 2024
2.	र.ले.प्र.नि, बेंगलूरु	16-17 मई, 2024
3.	र.ले.नि, चेन्नई	18-19 जुलाई, 2024
4.	र.ले.नि. (के.भं.वि.), मुंबई	15-16 अक्तूबर, 2024
5.	र.ले.प्र.नि. (नौसेना), मुंबई	17-18 अक्तूबर, 2024
6.	र.ले.नि., गुवाहाटी	28-29 नवम्बर, 2024
7.	क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ	10-11 दिसम्बर, 2024
8.	र.ले.नि. (सेना), मेरठ	28 जनवरी, 2025
9.	र.ले.नि. (निधि), मेरठ	29 जनवरी, 2025
10.	र.ले.नि. (पेंशन संवितरण), मेरठ	30 जनवरी, 2025
11.	क्षे.प्र.के., मेरठ	31 जनवरी, 2025

अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिए गए कि आगे से अधीनस्थ कार्यालयों के राजभाषा निरीक्षण के समय उस स्टेशन पर स्थित प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकार/एकीकृत वित्तीय सलाहकार (PIFAs/IFAs) कार्यालयों का भी निरीक्षण किया जाए।

[कार्रवाई : राजभाषा अनुभाग (स्थानीय)]

(II) संसदीय राजभाषा समिति द्वारा राजभाषा निरीक्षण

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा इस तिमाही में निम्नलिखित कार्यालय का निरीक्षण किया गया:-

क्र.सं.	**कार्यालय का नाम**	**अभ्युक्तियां**
01	स्थानीय लेखापरीक्षा अधिकारी (वा.से.) एच.क्यू.टी.सी. , हेब्बल, बेंगलूरु	संसदीय राजभाषा समिति द्वारा स्थानीय लेखापरीक्षा अधिकारी (वा.से.) एच.क्यू.टी.सी., हेब्बल, बेंगलूरु का राजभाषा निरीक्षण दिनांक 21.01.2025 को किया गया। इसमें मुख्यालय कार्यालय के प्रतिनिधि के तौर पर श्री विपिन कुमार गुप्ता, रक्षा लेखा वरिष्ठ संयुक्त महानियंत्रक ने भाग लिया। संसदीय समिति द्वारा भेजी जानी वाली 'आश्वासन' रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

		प्राप्त होने के पश्चात इसे अनुवर्ती कार्रवाई हेतु संबंधित कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर सहमति जताई गई।

[कार्रवाई : राजभाषा अनुभाग (स्थानीय)]

(III) रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा लेखा विभाग के कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण

रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा लेखा विभाग के निम्नलिखित कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण किया गया:-

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	निरीक्षण की तारीख	अभ्युक्तियां
1.	लेखा अधिकारी, दुर्ग अभियंता, आईएनएस चिल्का, ओडिशा-752037	01.01.25	रक्षा मंत्रालय द्वारा दोनों कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण उनके सामने उल्लिखित तारीखों में किया गया। अभी तक मंत्रालय से निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होते ही अनुवर्ती कार्रवाई हेतु उन्हें संबंधित कार्यालयों को प्रेषित कर दिया जाएगा।
2.	लेखा कार्यालय 46 सी.स.कृ.घ., पोर्टब्लेयर	25.02.25	

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर सहमति जताई गई।

[कार्रवाई : राजभाषा अनुभाग (स्थानीय)]

(iv) स्थानीय अनुभागों का राजभाषा निरीक्षण

इस तिमाही में राजभाषा अनुभाग द्वारा सभी स्थानीय अनुभागों का राजभाषा निरीक्षण किया गया। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के उपरांत निरीक्षण रिपोर्ट सभी अनुभागों को अनुवर्ती कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर सहमति जताई गई।

[कार्रवाई : सभी अनुभाग (स्थानीय)]

मद संख्या 6: राजभाषा अनुभाग द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्य

(i) संसदीय राजभाषा समिति के संभावित निरीक्षण को ध्यान में रखते हुए सभी अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत राजभाषा संवर्ग के सभी अधिकारियों के लिए संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली भरने के लिए ऑनलाइन कार्यशाला के माध्यम से 3-3 घंटों के दो प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में सभी अधीनस्थ कार्यालयों की पूर्ण रूप से भरी हुई प्रश्नावली समीक्षा हेतु मुख्यालय कार्यालय में मंगवाई गई हैं। साथ ही सभी नियंत्रक कार्यालयों को यह भी निदेश दिए गए हैं कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों की निरीक्षण प्रश्नावली की समीक्षा करें तथा इसकी अनुपालना रिपोर्ट मुख्यालय कार्यालय को प्रेषित करें ताकि भविष्य में होने वाले संसदीय राजभाषा समिति निरीक्षण के लिए रक्षा लेखा विभाग के किसी भी कार्यालय को विषम परिस्थितियों/ टिप्पणियों का सामना नहीं करना पड़े।

अध्यक्ष महोदय द्वारा इसकी सराहना की गई।

[कार्रवाई : सभी अधीनस्थ कार्यालय एवं राजभाषा अनुभाग (स्थानीय)]

(ii) केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन के पश्चात कार्यालय के 06 लिपिकों को राजभाषा अनुभाग में हिंदी टंकण का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा इसे सराहा गया तथा इसे आगे भी जारी रखने के निदेश दिए गए।

[कार्रवाई : सभी अनुभाग (स्थानीय)]

(iii) स्थानीय अनुभागों के बीच हिंदी कार्य को लेकर सकारात्मक प्रतिस्पर्धा/ रुचि जागृत करने हेतु रोलिंग शील्ड योजना (नकद पुरस्कार सहित) लागू की गई है (हिंदी पखवाड़े के दौरान 01 स्थानीय अनुभाग को उत्कृष्ट हिंदी कार्य हेतु)।

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पहल की सराहना की गई।

[कार्रवाई : सभी अनुभाग (स्थानीय)]

(iv) सक्षम प्राधिकारी महोदय की अनुमति से राजभाषा संवर्ग के कार्मिकों के लिए राजभाषा नीति, अनुवाद एवं इससे संबंधित तकनीकी ज्ञान के अद्यतन हेतु अभिमुखीकरण कार्यक्रम मई माह में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, मेरठ में आयोजित किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर सहमति जताई गई।

[कार्रवाई : सभी अधीनस्थ कार्यालय एवं राजभाषा अनुभाग (स्थानीय)]

(v) गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) के आदेशानुसार हिंदी डिक्टेशन देने वाले 02 अधिकारियों को प्रति-वर्ष 5-5 हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान है। इस संबंध में मुख्यालय कार्यालय के साथ-साथ सभी अधीनस्थ कार्यालयों को इस योजना का लाभ उठाने हेतु पत्र का परिचालन कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर सहमति जताई गई।

[कार्रवाई : सभी अधीनस्थ कार्यालय एवं राजभाषा अनुभाग (स्थानीय)]

(vi) वर्ष 2024 में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया जिसमें 06 विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई। 117 प्रतिभागियों द्वारा इनमें बढ़-चढ़कर प्रतिभागिता की गई। पखवाड़े के समापन समारोह में 60 विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा इसकी सराहना की गई।

(vii) कार्यालय में सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने हेतु प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 10 अधिकारियों/ कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा इसकी सराहना की गई।

(viii) मुख्यालय कार्यालय द्वारा पूर्व में वर्ष में केवल एक हिंदी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था। हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम में यह निर्णय लिया गया था कि अब मुख्यालय कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष दो पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाएगा। इसी क्रम में यह उल्लेखनीय है कि इस वर्ष के दौरान एक पत्रिका का विमोचन हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह के दौरान किया गया था तथा दूसरी पत्रिका के प्रकाशन का कार्य अंतिम चरणों में है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर सहमति जताई गई।

[कार्रवाई : राजभाषा अनुभाग (स्थानीय)]

(ix) हिंदी पखवाड़े के आयोजन के दौरान ही मुख्यालय कार्यालय द्वारा रक्षा लेखा विभाग के सभी कार्यालयों से "रक्षा लेखा विभाग के लिए गीत लेखन प्रतियोगिता" हेतु प्रविष्टियां आमंत्रित की गई थी। इसके लिए 66 रचनाकारों से 68 गीत प्राप्त हुए। तदनुसार 05 श्रेष्ठ रचनाओं को पुरस्कृत किया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिए गए कि 05 श्रेष्ठ रचनाओं को मुख्यालय कार्यालय की हिंदी पत्रिका के आगामी अंक में प्रकाशित कराया जाए।

[कार्रवाई : राजभाषा अनुभाग (स्थानीय)]

(xi) इस वित्तीय वर्ष में विभाग के 49 पात्र कार्यालयों को राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) को तहत राजपत्र में अधिसूचित कराने हेतु कार्रवाई की गई।

अध्यक्ष महोदय द्वारा इसकी सराहना की गई।

<u>मद संख्या 7 : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय</u>

(i) सदस्य सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि स्थानीय अनुभागों/ अधीनस्थ कार्यालयों से राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट समय पर प्राप्त नहीं होती है।

इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा असंतोष जाहिर किया गया तथा निदेश दिए गए कि हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट समय पर राजभाषा अनुभाग (मुख्यालय) को भेजना सुनिश्चित किया जाए ताकि इसे आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु उच्चतर कार्यालयों को समय पर प्रेषित किया जा सके।

[कार्रवाई : सभी अधीनस्थ कार्यालय एवं समस्त अनुभाग (स्थानीय)]

(ii) सदस्य सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि संसदीय राजभाषा समिति के निदेशों के अनुपालन में मुख्यालय स्तर पर प्रतिवर्ष राजभाषा सम्मेलन/ कवि सम्मेलन आयोजित किया जाए।

इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा सहमति जताई गई।

[कार्रवाई : राजभाषा अनुभाग (स्थानीय)]

(iv) संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण के पूर्व (कार्यक्रम प्राप्त होने पर) मुख्यालय कार्यालय द्वारा उस कार्यालय का पूर्व निरीक्षण/ दस्तावेज़ सत्यापन किया जाए ताकि संसदीय समिति निरीक्षण विधिवत रूप से संपन्न हो सके।

इस प्रस्ताव को अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकार किया गया।

[कार्रवाई : राजभाषा अनुभाग (स्थानीय)]

(v) श्री विश्वजीत सहाय, भा.र.ले.से., रक्षा लेखा अपर महानियंत्रक द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि विभाग के सभी कार्यालयों में हिंदी संवर्ग के पदाधिकारी समानुपात में पदस्थ नहीं हैं। परिणामस्वरूप राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में कुछ कार्यालयों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अतः राजभाषा संवर्ग के पदाधिकारियों को कार्यालयों के प्राधिकृत संख्याबल के अनुसार पदस्थ किए जाने का प्रस्ताव है ताकि राजभाषा कार्यान्वयन का कार्य सभी संगठनों/ कार्यालयों में सुचारु रूप से चल सके।

इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा सहमति जताई गई।

[कार्रवाई : प्रशासन II एवं IX अनुभाग (स्थानीय)]

अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देने के साथ ही बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

पूनम

(पूनम)

सहायक निदेशक (राजभाषा)